

जन्य कार्य/चुनाव
बिनांक.....

21.06/2024:- पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
र्यं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़